ई-मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 437/6/1/2015-सीसी दिनांकः 20 जुलाई, 2015

सेवा में,

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना,
2. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना

विषयः बिहार की राज्य विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2015 - अधिकारियों का स्थानांतरण/तैनाती - तत्संबंधी।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बिहार विधान सभा का कार्यकाल 29 नवंबर, 2015 को समाप्त होने वाला है।

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों का संचालन करने के अपने कार्य में आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए समनुरूप नीति का अनुसरण किया है कि जो अधिकारी राज्य में निर्वाचनों के संचालन से जुड़े हुए हैं वे अपने गृह जिलो में या ऐसे स्थानों में सेवा प्रदान नहीं करें जहां उन्होंने लंबे समय तक सेवा की हो और निर्णय लिया कि निर्वाचनों से प्रत्यक्षतः **जुड़े ऐसे किसी भी अधिकारी की तैनाती के वर्तमान जिले में बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जोः-**

(क) अपने गृह जिले में तैनात हों।

(ख) पिछले चार वर्षों के दौरान उस जिले में तीन वर्ष पूरे किए हों या 30.11.2015 को या उसके पहले 3 वर्ष पूरे करेंगे।

हालांकि, यदि ऐसे कर्मचारियों के संबंध में प्रथम दृष्ट्या कोई शिकायत प्राप्त होती है जो निर्वाचन से अप्रत्यक्षतः जुड़े हुए हों तो आयोग ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि सैक्टर अधिकारियों के रूप में नियुक्त अधिकारी, हालांकि निर्वाचन कर्तव्यों से प्रत्यक्ष रुप में जुड़े हुए होते हैं, को इन अनुदेशों के तहत शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि उनकी ड्यूटियां इस तरह की हैं कि उन्हें फील्ड ड्यूटियों में तैनात किया जाता है जहां क्षेत्र/भू-भाग की उनकी जानकारी उनके प्रभावी कार्य-निष्पादन के लिए महत्वपूर्ण होती है और इसलिए मौजूदा क्षेत्र/भू-भाग में उनकी तैनाती जारी रखी जाएगी। हालांकि, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी को

निर्वाचन अवधि के दौरान ऐसे अधिकारियों पर एक सतर्क नजर यह सुनिश्चत करने के लिए रखनी चाहिए कि उनका कार्य-निष्पादन अत्यंत निष्पक्ष रहे।

यह पाया गया है कि पूर्व में आयोग द्वारा विहित कट ऑफ तारीख का कुछ राज्य सरकारों द्वारा निष्ठापूर्वक पालन नहीं किया जा रहा है। इसलिए, आयोग ने यह बात जोर देकर कही है कि राज्य सरकार को तीन वर्ष की अवधि की गणना करने के लिए विहित कट-ऑफ तारीख का सख्ती से पालन करना चाहिए। तदनुसार, 3 वर्ष की अवधि 30.11.2015 से पूर्व की अवधि के रूप में गिनी जाएगी।

(ii) ये अनुदेश न केवल विनिर्दिष्ट निर्वाचन ड्यूटियों के लिए नियुक्त अधिकारियों जैसे जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को बल्कि अन्य जिला अधिकारियों जैसे अपर जिला मजिस्ट्रेटों, डिप्टी कलक्टरों, सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेटों, तहसीलदारों, प्रखंड विकास अधिकारियों या निर्वाचन कार्य के लिए तैनात किए जाने के लिए प्रस्तावित किसी अन्य अधिकारी को भी कवर करते हैं।

जहां तक पुलिस विभाग के अधिकारियों का संबंध है, ये अनुदेश रेंज आईजी, डीआईजी, राज्य सशस्त्र पुलिस के कमांडेंटों, एसएसपी, एसपी, अपर एसपी, पुलिस के सब-डिवीजनल प्रमुखों, निरीक्षकों या समतुल्य रैंक के ऐसे अधिकारियों पर भी लागू होंगे जो निर्वाचन समय में जिले में पुलिस बल की तैनाती के लिए उतरदायी होते हैं। ऐसे पुलिस कर्मचारी इन अनुदेशों के अंतर्गत कवर नहीं किए गए हैं जो प्रकार्यात्मक विभागों जैसे कम्प्यूटरीकरण, विशेष शाखा, प्रशिक्षण, आदि में तैनात हैं। इनके अलावा, उप-निरीक्षकों के स्तर के पुलिस अधिकारियों को उनके गृह विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में तैनात नहीं किया जाना चाहिए। उप-निरीक्षकों के स्तर के पुलिस अधिकारियों को न केवल उनके पुलिस सब-डिवीजनों से बाहर बल्कि उन परिस्थिति में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से भी बाहर स्थानांतरित किया जाना चाहिए यदि उन्होने पिछले चार वर्षों के दौरान उस सब-डिवीचन में तीन वर्षों का कार्यकाल पूरा कर लिया हो या **30.11.2015** को या उससे पहले 3 वर्ष पूरे कर लेंगे।

(iii) आयोग ने आगे यह भी इच्छा व्यक्त की है कि इसलिए सभी जिलों में एक विस्तृत समीक्षा की जाए, और ऐसे सभी अधिकारियों को उनके गृह जिलों से बाहर या ऐसे जिले से बाहर अविलंब तैनात किया जाए जिनमें उन्होंने पूर्वोक्त तिथि के दिन पिछले चार वर्षों में से तीन वर्षों का कार्यकाल पूरा कर लिया हो या पूरा कर लेंगे। ऐसे अधिकारियों को स्थानांतरित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उन्हें उनके गृह जिलों में तैनात न किया जाए। तीन वर्षों की अवधि की गणना करते समय जिले के भीतर किसी पद पर हुई पदोन्नति को गिना जाएगा। यह समीक्षा करते समय यह बात अवश्य ध्यान में रखी जानी चाहिए कि ये अनुदेश संबंधित विभाग के राज्यीय मुख्यालयों में तैनात अधिकारियों पर नहीं लागू होंगे।

(iv) आयोग ने यह इच्छा भी व्यक्त की है कि जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आयोग ने अनुशासनिक कार्यवाई की सिफारिश की है या जिन्हें कोई निर्वाचन या निर्वाचन संबंधी कार्य में कोताही बरतने के लिए पूर्व में आरोपित किया गया है उन्हें निर्वाचन संबंधी कोई ड्यूटी नहीं दी जाएगी।

(v) आयोग ने यह इच्छा भी व्यक्त की है कि किसी भी ऐसे अधिकारी/कर्मचारी को निर्वाचन कार्य या निर्वाचन संबंधी ड्यूटी से सम्बद्ध न किया जाए जिसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक मामला लंबित हो।

(vi) आयोग को पूर्व में शिकायतें मिली हैं कि जब राज्य सरकार आयोग द्वारा निर्गत निदेश के अनुसरण में उपर्युक्त श्रेणियों के अधिकारियों/कर्मचारियों को स्थानांतरित कर देती है फिर भी, अधिकारी/कर्मचारी छुट्टी पर जाकर और उस जिले से वास्तविक रूप में बाहर न जाकर जहां से उनका स्थानांतरण हुआ होता है, उद्देश्य में गतिरोध उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। आयोग ने इसे गंभीरता से लिया है और यह इच्छा व्यक्त की है कि ऐसे सभी अधिकारियों को जो ऊपर संदर्भित अनुदेशों के अनुसरण में स्थानांतरित हुए हैं, उस जिले से वास्तव में बाहर जाने के लिए कहा जाए जहां से वे स्थानांतरण आदेशों के प्राप्त होने पर तत्काल स्थानांतरित हुए हैं।

(vii) इसके अलावा, आयोग ने यह इच्छा भी व्यक्त की है कि उपर्युक्त निदेशों को क्रियान्वित करते समय वर्तमान पदधारियों, जो आयोग की इस नीति के अनुसार स्थानांतरित हुए हैं, के स्थान पर व्यक्तियों को तैनात करते समय राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से निरपवाद रूप से परामर्श किया जाए। इन निदेशों के अधीन निर्गत स्थानांतरण आदेशों की प्रतियां मुख्य निर्वाचन अधिकारी को हर हालत में दी जानी चाहिए।

(viii) जो अधिकारी/कर्मचारी निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्य से जुड़े हुए हैं उनके संदर्भ में स्थानातरण आदेश, यदि कोई हों, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के परामर्श से निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के बाद ही क्रियान्वित किए जाएंगे।

(ix) कोई अधिकारी जो आने वाले छः महीनों के भीतर सेवानिवृत होने वाले हैं उन्हें आयोग के ऊपर उल्लिखित निदेशों की परिधि से मुक्त रखा जाएगा। इसके अलावा, इस श्रेणी (गृह/3+मानदंड यदि वे छः महीनों के भीतर सेवानिवृत होने वाले हैं) में आने वाले अधिकारियों को निर्वाचनों के दौरान निर्वाचन ड्यूटियों के निष्पादन में नहीं लगाया जाएगा।

(x) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्य के ऐसे सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को जो सेवा-विस्तार पर हैं या भिन्न-भिन्न हैसियतों से पुनर्नियोजित हैं, निर्वाचन संबंधी किसी कार्य से सम्बद्ध नहीं किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में तैनात अधिकारी/कर्मचारी इसके अपवाद होंगे।

2. की गई कार्रवाई के बारे आयोग के सूचनार्थ तत्काल और किसी भी स्थिति में 10 अगस्त, 2015 तक दिए जाएं।

3. यह देखा गया है कि पूर्व में साधारण निर्वाचन के दौरान अलग-अलग मामलों में स्थानांतरण आदेश की अनुप्रयोज्यता के संदर्भ में स्पष्टीकरण मांगते हुए विभिन्न राज्यों से अनेक संदर्भ प्राप्त होते हैं। आयोग निदेश देता है कि ऐसे सभी मुद्दों पर कार्रवाई मुख्य निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर की जानी चाहिए। वैयक्तिक संदर्भ केवल तभी जबकि अत्यन्त आवश्यक हो, मुख्य निर्वाचन अधिकारी स्तर पर सभी पहलुओं पर विचार करते हुए और उनकी विर्निर्दिष्ट सिफारिशों के साथ, आयोग को अग्रेषित किए जाने चाहिए।

4. उपर्युक्त अनुदेश अनुपालन हेतु सभी संबंधितों के ध्यान में लाए जाएं।

भवदीय,

ह./-
(के. अजय कुमार)
प्रधान सचिव